1103/18.3.24

न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–59/2023

राज्य

बनाम्

राम प्रकाश सिंह

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस, लातेहार के पत्रांक 832/अप0शा0 दिनांक 26.04.2023 से बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–222/2022 दिनांक 23.11.2022 में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के मामले में जप्त हाईवा रजि0–JH13F-4600 एवं उसमें लदे 21.160 टन कोयला का राजसात के लिए प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 23.11.2023 को समय करीब 20.30 बजे स0अ0नि0 सुनिल कुमार, बालूमाथ थाना को गुप्त सूचना मिला कि चन्दवा कि ओर एक अवैध कोयला लदा हाईवा जा रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई बालूमाथ थाना अन्तर्गत चन्दवा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर ओवरब्रीज के पास पहूंच कर वाहन चेकिंग हेतु साथ गये सशस्त्र बल को तैनात किया। कुछ समय उपरान्त बालूमाथ साईडिंग की तरफ से एक कोयला लदा हाईवा आते देखा तो ट्रक को टॉर्च की रौशनी के द्वारा छापामारी दल ने रोकने का ईशारा किया। हाईवा चालक हाईवा को रोककर उतरकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल की सहायता से पीछा करके पकड़ा गया। पकड़ेजाने के उपरान्त हाईवा चालक से भागने का कारण पूछने पर बताया कि उक्त हाईवा पर लोड कोयला बुकरू साईडिंग का है, जिसे अवैध रूप से बेचने के लिए मासियातू ले जा रहा था। कोयला से संबंधित कागजात के अवलोकन से पता चला कि उक्त हाईवा में लोड कोयला बुकरू साईडिंग का है, जिसमें

डी0एम0ओ0 चालान में Validity 23.11.2022 समय 06:31:43 PM लिख हुआ है, जो निर्धारित समय से ज्यादा है एवं निर्धारित रूट में नहीं होकर अवैध तरीके से कहीं और ले जाया जा रहा है। सख्ती से पूछने पर बताया कि उक्त हाईवा में लोड कोयला को बेचने का बात सिमरिया के एहतेशाम खान उर्फ छोटु एवं बालूमाथ के विकास के द्वारा किया गया था, जिसे मासियातु के ईंट भट्ठे में ले जाकर बेचना था। तत्पश्चात् विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH13F-4600, ईंजन नं0–JBHZ430793 चेसीस नं0– MB1JADHDXJRXZ6584 जिसपर 21.60 टन लदे अवैध कोयला सहित मकईयाटांड़ पुलिस पिकेट परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया, जिसे बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–222/2022 दिनांक 23.11.2022 धारा–379/411/414/34 भा0द0वि0 धारा–(ii) कोल माईन्स एक्ट, धारा–21 MMDR Act एवं धारा–13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम 2017 के तहत् जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH13F-4600, ईंजन नं0–JBHZ430793 चेसीस नं0–MB1JADHDXJRXZ6584 जिसपर 21.60 टन लदे अवैध कोयला के विरूद्ध राजसात (अधिग्रहण) की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् उपस्थित होकर विपक्षी द्वारा स्वयं एवं अधिवक्ता के माध्यम से बचाव पक्ष रखा गया।

विपक्षी के अधिवक्ता का कथन है कि बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–222/2022 दिनांक 23.11.2022 में जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH13F-4600 को राजसात हेतु प्रारम्भ प्रक्रिया जो बिल्कुल गलत एवं सत्य से परे है। बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–222/2022 दिनांक 23.11.2022 में जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH13F-4600 मगध कोल परियोजना, सी0सी0एल0, बालूमाथ द्वारा बुकरू रेलवे साईडिंग के लिए 21.160 टन कोयला का चालान निर्गत किया गया, जो दिनांक 23.11.2022 को 06:31 PM तक वैध था। उसी दिन समय 21:55 में वाहन को जप्त किया गया था तथा चलान के जांचोपरान्त विभिन्न धाराओं के तहत् वाद दर्ज किया गया है। इसमें वाहन मालिक की गलती नहीं है, बल्कि चालक की लापरवाही के कारण वाहन को गंतव्य स्थान में पहूंचने में

देरी हुई है। कोयला को गलत रूप से प्राप्त नहीं किया गया था और न हीं अवैध खनन की गई थी। तीन घंटे विलम्ब के कारण वैध चालान रहते हुए व्यवसायिक वाहन के प्रति कठोर कदम उठाने से वाहन मालिक को कुछ दुरगामी दुःखों का सामना करना पड़ा और परिणामस्वरूप न केवल वाहन मालिक को बल्कि राष्ट्र की भी हानि हुई है। उक्त आलोक में जप्त वाहन को राजसात की कार्यवाही से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तर्कों एवं अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि दिनांक–23.11.2022 को समय 20:30 बजे प्राप्त गुप्त सूचना के सत्यापन के क्रम में चन्दवा की ओर जानेवाली मुख्य सड़क पर पकड़ा गया है तथा चालक द्वारा स्वीकार किया गया है कि जप्त वाहन पर लदा कोयला बुकरू साईडिंग का है। जप्त वाहन पर लदे कोयला को मासियातु बेंचने का बात सिमरिया के एहतेसाम खान उर्फ छोटू एवं बालूमाथ के विकास के द्वारा किया गया था, जिसे अवैध रूप से मासियातु ईंट भट्ठा में ले जाकर बेचना था। हाईवा रजि0 नं0–JH13F-4600 को कोयला परिवहन करते बालूमाथ थाना द्वारा पकड़े जाने के समय प्रस्तुत ई–परिवहन चालान दिनांक 23.11.2022 को 06:31:43 PM तक वैध था। ई–परिवहन चालान की वैधता की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त अवैध रूप से परिवहन का कार्य किया जा रहा था, जो नियम के विरूद्ध है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4(1A) एवं "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 9 (i) No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS. एव नियम 11(V) में वर्णित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed

of in accordance with direction of such court."

अतः दिनांक–23.11.2022 को अवैध कोयला परिवहन करते पकड़े गये हाईवा रजि0 नं0–JH13F-4600 एवं उसपर लदे 21.160 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जप्त कोयला एवं वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.16 12:39:20 +05:30
Location: 192.168.252.92